प्रेस विज्ञप्ति ***दिनॉक 05.07.2024*** ***जनपद – संतकबीरनगर***

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 200/2024 धारा 376/323/504/506 भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त जमालुद्दीन उर्फ शब्बू पुत्र अलाउद्दीन निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद सन्तकबीर नगर को दुर्गजोत चौराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ शादी का झूठा झांसा देकर दुष्कर्म किया। जिसेक सम्बन्ध में वादिनी द्वारा दिनांक 23.06.2024 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 05.07.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शैलेन्द सिंह, का0 प्रभुनाथ यादव, का0 राजन खरवार ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में *थाना धनघटा पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 403/2024 धारा 307 भा0द0वि0 के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता असलम खान उर्फ़ सोनू पुत्र मो0 सलीम निवासी सुरैना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- विदित हो कि वादी कि बहन उक्त अभियुक्त के दुकान पर 4000 रु. के मासिक आय पर रखा था जो कि 02 वर्ष से रुपया नही दे रहा था। वादी की बहन द्वारा अपना पैसा मांगने पर अभियुक्त द्वारा गला दबाकर मारा पीटा व बिजली का शाट दिया जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 403/2024 धारा 307 भा0द0वि0 अभियोग पंजीकृत कराया गया था, धनघटा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रजनीश राय, का0 गौरव

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना मेंहदावल द्वारा** वारण्टी नाम गंगाराम दूबे पुत्र जोखन दूबे निवासी खजुरा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह, का0 लालजी गोंड, का0 प्रदीप राजभर।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 3315 द्वारा पारिवारिक विवाद से परेशान होकर घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल–**
* पीआरवी 3315 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत घौरापार अव्वल से कालर ने इवेन्ट संख्या 44724 से किसी बात को लेकर पारिवारिक विवाद से परेशान होकर घायल 01 व्यक्ति (1- गंगेश पुत्र झब्बू निवासी धौरापार अव्वल थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर) अपना हाथ ब्लेड से हाथ काट लिया है, के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर ब्लेड से हाथ कटे हुए व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 अमरेन्द्रचन्द्र चौधरी, हो0चा0 वकिल पाण्डेय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 97 वाहनों से 1,10,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.07.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 97 वाहनों से 1,10,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।